भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2439

जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है

राजमार्गों पर जल जमाव

2439. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी.के.सुरेश:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गत तीन वर्षों के दौरान भयंकर बाढ़ और जल-जमाव के कारण सड़कें और राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है और राजकोष को राज्य-वार और राजमार्ग-वार कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ग) देश में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और प्राद्योगिकी की गुणवत्ता में संरचनात्मक सुधार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भयंकर बाढ़ और जल-जमाव के कारण हुए नुकसान सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिपोर्ट किए गए नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थितियों का आकलन मंत्रालय और इसकी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी)/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के निगमों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात घनत्व, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर शुरू किए जाते हैं; ऐसे कार्यों में विभिन्न कारणों से हुई कमियों और क्षति का सुधार, राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरूद्धार और सुदृढ़ीकरण, पर्याप्त जल निकासी प्रणाली प्रदान करना आदि भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए गए विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों में साधारण मरम्मत (ओआर), आवधिक नवीकरण (पीआर), विशेष मरम्मत (एसआर) और बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर) शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों के एम एंड आर जहां या तो विकास कार्य शुरू हो गए हैं अथवा प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (ओएमटी) रियायतें/प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) ठेके प्रदान कर दिए गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि तक संबंधित रियायतग्राहियों/ठेकेदारों की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष खंडों का एम एंड आर जिसमें भयंकर बाढ़ और जल-जमाव से हुई क्षति को दुरूस्त करना भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए उपलब्ध बजटीय परिव्यय, पारस्परिक प्राथमिकता और यातायात घनत्व के अनुसार नियमित रूप से कार्य किए जाते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि, 2023-24 से, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी रखरखाव कार्य मुख्य रूप से प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) / अल्पकालिक (1-वर्षीय) रखरखाव अनुबंध के माध्यम से ही किए जाएंगे। नतीजतन, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों पर चल रहे कार्यों को विकास या रखरखाव या दोष देयता अवधि (डीएलपी) के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाना है, जिसमें ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार/रियायतग्राही की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के एम एंड आर के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय/जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-।।क में दिया गया है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएंडआर के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय/अन्य एजेंसियों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-IIख में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप इस प्रकार हैं -

(i) सड़क का स्तर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के आधार पर तय किया जाता है, जो उच्चतम बाढ़ स्तर से काफी ऊपर है।

(ii) जिओ-सिंथेटिक्स का उपयोग भूस्खलन को कम करने के लिए ढलान स्थिरीकरण और कटाव संरक्षण उपायों को भरने और काटने के लिए किया जाता है।

(iii) नदी प्रशिक्षण कार्यों के रूप में आधुनिक रॉक फॉल संरक्षण उपायों जैसे तार रस्सी और गैबियन का उपयोग किया जाता है।

(iv) नवीनतम संघनन उपकरणों का उपयोग पृथ्वी को अधिकतम कॉम्पैक्ट करने के लिए किया जा रहा है और इसे भारी बारिश और बाढ़ के खिलाफ नुकसान के लिए कम प्रवण बनाया जा रहा है।

(v) मिट्टी के गुणों में सुधार के लिए मृदा स्थिरीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

(vi) मिट्टी और समुच्चय के लिए स्थिरीकरण प्रौद्योगिकी जो पानी से प्रेरित संकटों के लिए अधिक प्रतिरोध को प्रेरित करती है।

(vii) बिटुमिनस मिक्स के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है।

(viii) उच्च वर्षा वाले क्षेत्र के लिए बिटुमिनस पहनने के पाठ्यक्रम के लिए सीमेंट ग्रटेड बिटुमिनस मैकाडम।

(ix) जल प्रतिरोधक फुटपाथ के लिए कंक्रीट / व्हाइट टॉपिंग।

(x) माइक्रो सर्फेसिंग में बिटुमिनस सतह को वाटरप्रूफ किया जाता है।

(xi) छिद्रपूर्ण पारगम्य फुटपाथ।

(xii) नैनो टेक्नोलॉजी आधारित तरल वाटरप्रूफ मेम्बरन।

(xiii) रखरखाव के लिए कोल्ड पैच मिश्रण।

(xiv) जल निकासी प्रयोजन के लिए जिओ मेम्बरन/जिओ कम्पोजिट।

(xv) जियो सेल के साथ चुट नाली और मध्य रेखा नाली।

अनुबंध-I

'राजमार्गों पर जल जमाव' के संबंध में श्री नलीन कुमार कटील, श्री डी. के. सुरेश, श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान भयंकर बाढ़ और जल-जमाव के कारण हुए नुकसान सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिपोर्ट किए गए नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

किमी में लंबाई

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई**		
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	237.01	192.00	85.20
2	अरुणाचल प्रदेश	97.73	94.62	101.89
3	असम	228.91	278.15	463.49
4	बिहार	194.70	92.20	138.95
5	छत्तीसगढ़	90.85	104.89	96.72
6	गोवा	30.00	0.00	0.00
7	गुजरात	195.11	222.47	304.10
8	हरियाणा	6.16	73.64	75.24
9	हिमाचल प्रदेश	14.99	170.13	76.40
10	झारखंड	736.07	490.45	253.39
11	कर्नाटक	57.18	163.91	123.44
12	केरल	183.40	222.96	158.94
13	मध्य प्रदेश	9.70	61.60	112.97
14	महाराष्ट्र	1122.67	865.92	784.99
15	मणिपुर	12.10	20.04	14.10
16	मेघालय	27.11	104.00	148.47
17	मिजोरम	28.35	79.75	41.95
18	नागालैंड	55.87	52.65	28.72
19	ओडिशा	187.56	130.96	104.26
20	पंजाब	41.55	126.01	66.66
21	राजस्थान	14.00	597.80	448.75
22	सिक्किम	9.32	7.85	20.62
23	तमिलनाडु	207.10	304.79	200.40
24	तेलंगाना	13.60	827.88	34.86
25	त्रिपुरा	34.70	108.05	33.70
26	उत्तर प्रदेश	484.16	118.24	353.56
27	उत्तराखंड	384.24	406.11	600.64
28	पश्चिम बंगाल	120.00	85.00	235.03
29	अडंमान और निकोबार	25.00	48.00	71.00
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
31	जम्मू और कश्मीर	38.93	26.25	70.73
32	लद्दाख	2.88	1.65	0.51
33	पुद्दुचेरी	28.53	26.93	0.00

'राजमार्गों पर जल जमाव' के संबंध में श्री नलीन कुमार कटील, श्री डी. के. सुरेश, श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के एम एंड आर के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय/जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है: -

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22		2022-23	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	147.44	113.91	150.92	85.89	214.50	164.08
2	अरुणाचल प्रदेश	78.76	111.39	68.84	76.08	73.64	73.06
3	असम	130.68	73.19	110.70	38.60	88.28	59.23
4	बिहार	115.92	64.86	108.32	72.00	60.52	1.57
5	छत्तीसगढ़	44.13	16.72	32.77	15.16	32.46	12.03
6	गोवा	18.95	8.02	16.19	6.58	12.51	12.37
7	गुजरात	186.28	114.78	168.58	48.92	346.60	332.79
8	हरियाणा	3.00	0.00	3.50	0.00	9.08	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	83.40	73.98	88.59	55.05	50.65	37.42
10	झारखंड	39.71	23.13	49.00	21.92	33.70	40.84
11	कर्नाटक	148.30	132.44	151.44	94.06	60.85	35.11
12	केरल	127.06	178.97	121.62	47.74	33.75	7.18
13	मध्य प्रदेश	102.05	28.11	63.84	10.79	29.84	8.42
14	महाराष्ट्र	281.53	157.14	270.81	44.81	122.67	66.27
15	मणिपुर	26.11	22.89	19.38	14.23	9.10	0.00
16	मेघालय	61.66	45.64	64.07	52.86	36.44	32.94
17	मिजोरम	34.91	21.00	44.96	33.90	21.88	8.19
18	नागालैंड	62.14	46.24	70.09	28.47	42.27	17.57
19	ओडिशा	63.16	104.68	99.73	63.31	38.29	24.88
20	पंजाब	34.72	27.81	27.85	16.05	54.31	18.61
21	राजस्थान	125.86	78.02	111.51	16.14	74.64	61.40
22	सिक्किम	5.88	6.85	8.87	7.91	7.11	3.90
23	तमिलनाडु	92.68	92.18	75.95	25.25	84.12	67.73
24	तेलंगाना	128.43	72.54	103.30	36.79	167.41	105.01
25	त्रिपुरा	16.68	12.13	9.03	0.00	5.10	0.00
26	उत्तर प्रदेश	139.57	90.81	133.63	71.34	104.81	81.87
27	उत्तराखंड	46.21	32.79	40.41	12.69	32.85	18.20
28	पश्चिम बंगाल	51.50	34.89	46.11	33.11	81.06	49.60
29	चंडीगढ़	3.11	2.03	9.30	5.69	5.12	0.89
30	दादरा और नगर हवेली ^	0.86	0.00	0.68	0.00	0.25	0.00
31	दमन और दीव - ^						

							धनराशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22		2022-23	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
32	दिल्ली	0.25	0.00	0.20	0.00	0.23	0.00
33	जम्मू और कश्मीर $	9.37	0.00	4.11	0.00	5.92	0.00
34	लद्दाख	5.13	3.39	3.64	0.00	1.25	0.00
35	पुद्दुचेरी	2.35	1.98	1.37	0.30	5.20	9.89
36	पहले आओ पहले पाओ	-632.04	**	-1,182.15	**	-368.11	**

कुछ राज्यों में व्यय उनके आबंटन की तुलना में अधिक है, तथापि देश में कुल व्यय मंत्रालय के समग्र बजटीय आबंटन के भीतर है।

$ जम्मू-कश्मीर राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन से पहले पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य

- ^ - विलय से पहले पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेश

***- ऋणात्मक आबंटन परिलक्षित होता है क्योंकि कम व्यय होने के कारण राज्य लोक निर्माण विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल को निधियों का पुन विनियोजन किया गया था। तथापि, स्वीकृति प्रयोजनों के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन में कमी नहीं की गई थी।**

****- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय शामिल**

उपर्युक्त विवरण में आवंटन और व्यय में पीआर/आईआरक्यूपी शामिल है जिसे 2021-22 से एनएच (ओ) से वित्त पोषित किया जाता है। इसलिए, कुल आवंटन एम एंड आर के कुल परिव्यय से अधिक है।

अनुबंध-।।ख

'राजमार्गों पर जल जमाव' के संबंध में श्री नलीन कुमार कटील, श्री डी. के. सुरेश, श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के एम एंड आर के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय/अन्य एजेंसियों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा: -

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	**एजेंसी**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
1	एनएचएआई	400.00	400.00	1,909.36	1,909.36	1,825.00	1,825.00
2	एनएचआईडीसीएल	248.17	248.17	325.00	325.00	50.00	50.00
3	बीआरओ	220.00	219.78	170.00	152.06	230.00	225.13

*****